राजस्थान सरकार

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी ओमप्रकाश मेहरा (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 32/2023 निगरानी प्रकरण में प्रार्थना पत्र (आदेश 6 नियम 17 सीपीसी)

1. श्री भूपेन्द्र सिंह राणावत पिता प्रहलाद सिंह राणावत निवासी अगरपुरा ग्राम पंचायत हलेड तहसील व जिला भीलवाडा

–निगराकार

बनाम

1. महादेव जाट पिता नन्दा जाट निवासी सबलपुरा तहसील भीलवाडा
2. सरोज अग्रवाल पत्नी कैलाश चन्द्र प्रहलादका निवासी भीलवाडा
3. ग्राम पंचायत हलेड जरिये ग्राम विकास अधिकारी हलेड
4. ग्राम पंचायत हलेड जरिये सरपंच ग्राम पंचायत हलेड जिला भीलवाडा

– विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 6 नियम 17 सपठित धारा 151 सिविल प्रकिया संहिता

उपस्थित –
1. श्री अभिमन्यू जोशी अधिवक्ता – प्रार्थी की ओर से
2. श्री श्याम लाल गुर्जर अधिवक्ता – विपक्षी संख्या 1 व 2 की ओर से

आदेश

दिनांक 22.04.2025

प्रकरण में प्रार्थी निगराकार की ओर से प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 6 नियम 17 सपठित धारा 151 सीपीसी का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि निगरानी के पेरा संख्या 01 व 02 में महादेव जाट का ही विवरण है परन्तु निगरानी के पैरा संख्या 03 के आधार पैरा संख्या 2, 4, 5 में टंकणीय त्रुटिवश महादेव के स्थान पर रणजीत सिंह पुत्र हिम्मत सिंह राजपुत टंकित हो गया हैं। पत्रावली संख्या 7/2040 दिनांकित 20.03.1988 के स्थान पर पटटा संख्या 144 दिनांकित 25.12.1986 टंकित हो गया। विपक्षी संख्या 1 व 2 ने भी महादेव जाट व पत्रावली संख्या 7/2040 दिनांकित 20.03.1988 ही समझते हुये जवाब दिया हैं। त्रुटि की जानकारी होते ही यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया हैं। इस संशोधन से गुणावगुण व प्रकृति पर कोई असर नही पडता हैं और न ही विपक्षी के किसी महत्वपूर्ण अधिकारों का हनन होता हैं। निवेदन हैं कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर मूल निगरानी प्रकरण में संशोधन किया जाये।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र की प्रति निगराकार विपक्षी अधिवक्ता को दिलायी गयी। विपक्षी संख्या 1 व 2 की ओर से प्रार्थना पत्र का जवाब पेश किया गया। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 6 नियम 17 सीपीसी में उभयपक्ष अधिवक्ताओं की बहस सुनी गयी ।

प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 06 नियम 17 सिविल प्रकिया संहिता में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये बताया कि निगरानी

के पेरा संख्या 01 व 02 में महादेव जाट का ही विवरण है परन्तु निगरानी के पैरा संख्या 03 के आधार पैरा संख्या 2, 4, 5 में टंकणीय त्रुटिवश महादेव के स्थान पर रणजीत सिंह पुत्र हिम्मत सिंह राजपुत टंकित हो गया हैं। पत्रावली संख्या 7/2040 दिनांकित 20.03.1988 के स्थान पर पटटा संख्या 144 दिनांकित 25.12.1986 टंकित हो गया। विपक्षी संख्या 1 व 2 ने भी महादेव जाट व पत्रावली संख्या 7/2040 दिनांकित 20.03.1988 ही समझते हुये जवाब दिया हैं। त्रुटि की जानकारी होते ही यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया हैं। इस संशोधन से गुणावगुण व प्रकृति पर कोई असर नही पडता हैं और न ही विपक्षी के किसी महत्वपूर्ण अधिकारों का हनन होता हैं। निवेदन हैं कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर मूल निगरानी प्रकरण में संशोधन किया जाये।

विपक्षी संख्या 1 व 2 के अधिवक्ता ने अपनी बहस में जवाब में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये बताया कि प्रार्थी ने अपने आवेदन में टंकणीय त्रुटिवश महादेव जाट के स्थान पर रणजीत सिंह पिता हिम्मत सिंह राजपूत टंकण होना बताया हैं, जो निराधार है, क्योंकि इस प्रकार की त्रुटि गंभीर त्रुटि है, ऐसी त्रुटि को संशोधन करने पर निगरानी पर भी विपरीत प्रभाव होने का पूर्ण अंदेशा है तथा पत्रावली संख्या 7/2040 दिनांक 20/03/1998 के स्थान पर पट्टा संख्या 144 दिनांक 25.12.1986 टंकित हो जाना बताया है। प्रार्थी ने पत्रावली के स्थान पर पटटा आदि लिख देने का अनुरोध किया गया है, जो पूर्णतया असत्य एवं निराधार है। प्रार्थी को अपनी निगरानी प्रस्तुत करने से पूर्व ही दस्तावेजों का निरीक्षण करके निगरानी प्रस्तुत करना था। किन्तु प्रार्थी ने बिना सोचे समझे तथ्यों का उल्लेख कर दिया। जिसमें संशोधन किया जाना न्याय के विपरीत है एवं संशोधन करने से पूरी निगरानी पर विपरीत प्रभाव पडेगा। प्रार्थी ने अपने आवेदन में जिन तथ्यों का समावेश किया है, वो विपक्षी संख्या–1 व 2 की ओर से प्रस्तुत जवाब के आधार पर ही ऐसा संशोधन कराने का अनुरोध किया है। जबकि प्रार्थी अपनी निगरानी में यह कथन प्रस्तुत किया है कि जागरूक नागरिक होकर यह निगरानी प्रस्तुत कर रहा है। इस प्रकार प्रार्थी न्यायालय को गुमराह कर, न्यायालय का समय अनावश्यक बर्बाद कर रहा है। प्रार्थना पत्र के समर्थन में कोई शपथ पत्र प्रस्तुत नहीं किया है, शपथ पत्र के अभाव में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र विश्वसनीय नहीं कहा जा सकता है। जिससे आवेदन प्रार्थी खारिज योग्य है। निवेदन हैं कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 06 नियम 17 सीपीसी को खारिज करते हुये, उक्त प्रार्थना पत्र के कम में अपूर्ण एवं अस्पष्ट निगरानी को खारिज किया जाये।

उभयपक्ष अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली व दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। जिसके उपरान्त पाया गया कि निगराकार द्वारा निगरानी मेमों के पैरा संख्या 3 मे गलत अंकन त्रुटिवश होना बताया है, जबकि निगरानी के अंतिम पैरा, जिसमें दाद चाही गयी उसमें भी महादेव जाट के स्थान पर रणजीत सिंह का नाम अंकन किया हुआ है। जिससे जाहिर होता हैं कि निगराकार का मात्र पटटे के विरूद्व मुकदमा दर्ज था, वास्तविक रूप से उस पटटे के संबंध में निगराकार का कोई हित नही ठहरता हैं।

निगराकार द्वारा उक्त निगरानी वर्ष 2023 में प्रस्तुत की गयी। उसके बा

विपक्षीगणों को नोटिस जारी कर, जवाब लिया गया। इसके पश्चात लगभग 02 वर्ष पश्चात् निगरानी में संशोधन हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया गया है, जबकि प्रकरण में कार्यवाही बहस की स्टेज पर नियत थी। इस प्रकार प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को न्यायोचित नही ठहराया जा सकता हैं।

निगरानी मेमों के पैरा संख्या 4 में पटटा संख्या 144 की दिनांक 28.12.1986 अंकित की गयी, जबकि निगरानी मेमों के साथ प्रस्तुत पटटे की फोटोप्रति में दिनांक 21.03.1991 अंकित हैं। इस बारे में प्रार्थी ने संशोधन बाबत् कोई तथ्य अंकन नही किया हैं। इससे यह जाहिर होता हैं कि निगराकार को विपक्षी के पटटे के संबंध में पूर्ण जानकारी नही होते भी निगरानी पेश की गयी, जो यह सिद्ध करती हैं कि निगराकार को सीधे तौर पर विपक्षी एवं विपक्षी के पटटे से कोई हानि नही हैं, मात्र विपक्षी के विरूद्व मुकदमा दायर करना एक मकसद जाहिर होता हैं।

टंकण की गलती एक दो स्थान पर हो सकती हैं, जबकि पत्रावली परीक्षण से यह जाहिर आया कि निगराकार ने पूरी निगरानी मेमों में ही जगह जगह पर टंकण त्रुटियां कर रखी हैं। जबकि निगराकार ने स्वयं को जागरूक नागरिक होकर निगरानी पेश करने का तथ्य अंकित किया हैं। इस प्रकार प्रार्थी ने बिना सोचे समझे तथ्यों का उल्लेख कर दिया, जिसमें संशोधन किया जाना विधि विरूद्व है एवं संशोधन करने से पूरी निगरानी पर विपरीत प्रभाव पडने की पूर्ण संभावना हैं, क्योंकि निगरानी में पटटा वर्ष 1986 अंकित हैं, जबकि पटटा प्रति में वर्ष 1991 अंकित हैं।

उपरोक्त विवेचन अनुसार प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 06 नियम 17 सिविल प्रकिया संहिता प्रासंगिक नही होने से एवं आधारहीन होने से अस्वीकार किया जाता हैं। प्रार्थना पत्र के परिप्रेक्ष्य में न्यायालय के संज्ञान में संपूर्ण निगरानी मेमों त्रुटिपूर्ण प्रकट होने से निगराकार की निगरानी खारिज की जाती है। आदेश आज दिनांक 22.04.2025 को लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर सरे इजलास सुनाया गया।

(ओमप्रकाश मेहरा)
अति. जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

न्यायालय अति. जिला कलक्टर भीलवाड़ा (राज.)